5.10.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप.। वकील अप्रार्थी द्वारा अवसर चाहा। आगामी अवसर दिया जाता है आगामी पेशी उपलब्ध अवसर समाप्त माना जाकर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावेगा। वास्ते बहस 29.10.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
29/10/20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उप० व बहस सुनी। वास्ते आदेश 10.11.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
10.11.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के प्रा० पत्र, प्रार्थना पत्र के कथन, वांछित अनुतोषादि, जवाब अप्रार्थीगण, एवं उभय

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

रीख / म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आदि पर विचार किया। बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान पर मनन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है, कि प्रार्थी कंपनी की माईनिंग लीज 9.166 K.M. एरिया में फैली हुई है धारा 88, 89, 188 R.T. Act जपठित धारा 136 L R Act 1956 के वाद के साथ यह वाद प्रस्तुत किया है 1984 में नामान्तरकरण हुआ है 99 साल की लीज डीड हुई है नक्शा लगा हुआ है लीज नक्शे में खसरे, रकबे है खातेदारों से खरीद कर बाद लेपीवेलिन लीज हुई है बाउण्ड्री भूमि प्रार्थी की बाउण्ड्रीवाल के अन्दर आती है बन्दोबस्त के बाद नया खसरा नम्बर कायम नहीं किया है प्रार्थी के खसरा नम्बर के स्थान पर खसरा नम्बर 1460 1.62 है कायम कर दिया है जो अप्रार्थी० के नाम पर गैर खातेदारी में दर्ज है अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर सकते है इनका कहीं पर भी कब्जा नहीं रहा है इसके विरुद्ध तरमीम के 14(4) की कार्यवाही विचाराधीन है पटवारी की रिपोर्ट संलग्न है इन्हें पाबंद किया जावे, कि वे प्रार्थी की भूमि में मदाखलत नहीं करें। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है, कि ख.नं. 57/1 के खाते० नाथू व 57/427 के खाते० हीरा की रहे है जिनके अप्रार्थीगण वारिसान है 57/427 को खरीद की। प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की भूमि पर कोई हक अधिकार नहीं है नक्शा भी बिल्कुल सही बनाया गया है 1.62 है भूमि के हम गैर खातेदार है हमारा कब्जा चला आ रहा है इस भूमि पर इनका अधिकार नहीं है	

पखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	अजमीन्दार में किसी प्रकार की सेल या सहमति नहीं हुई थी। दोनों खसरा नम्बर की भूमि 20 बीघा होती है, जबकि खसरा नं. 148 सिर्फ 10 बीघा की थी। भूमि हमारे को खातेदारी की है, जिसका आदेश आप अपनी अदालत से कर सकते हैं। (इस मामले न.ड. स्थगित की जावे।
	हाल जमाबंदी ग्राम कुम्भकोर 2057 खसरा नं. 57/427 रकबा 10 बीघा, 57/1 रकबा 5 बीघा, 57/445 20 बीघा, 57/1, 10 बीघा, 57/5 - 15 बीघा A.S.I. कम्पनी के नाम दर्ज थी। खसरा नं. 57 (रकबा 10) हीरालाल s/o नानू चौधरी के नाम दर्ज (गैर खातेदार) थी। प्रार्थी कम्पनी द्वारा ख.नं. 57/427 (रकबा 10) हीरालाल s/o ओंकार चौधरी से मौखिक रजि० सेल डीड क्रय की गई थी। 57/5 की (15) गैर खातेदार जयचंद से रजि० सेल डीड से क्रय की गई थी। उक्त भूमियां सहित प्रार्थी कम्पनी द्वारा (13211) राजहित में सरेण्डर की गई थी। जो 3.2.84 को लीज के रूप में वापस प्रार्थी के नाम पर दर्ज की गई। हाल नक्शा खसरा गिरदावरी उक्त प्रार्थी की भूमि मौके पर पड़त अंकित थी।
	हाल नकल जमाबंदी प्रति ग्राम कुम्भकोर सं. 2054-77 (खाता) नं. 531 में खसरा नम्बर 148 की भूमि अजमीन्दार के नाम पर दर्ज थी। परन्तु उक्त भूमि का कब्जा लीज क्षेत्र में दर्ज रहा था। हाल प्रमाणित मि० नं० 138/2016

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से प्रतीत होता है, कि जिन कागजात में आवेदन निरस्त करने की कार्यवाही जरूरी है। उक्त कार्यवाही तहसीलदार द्वारा ग्राम कुंअरकोट के खसरा नम्बर 148 रकबा 1.62 हे. का आवेदन निरस्त करने हेतु प्रस्तुत की गयी थी रिपोर्ट पटवारी कुंअरकोट दि० 15.2.2016 में अंकित किया गया है, कि उक्त खसरा नम्बर पर मौके खातेदार का कब्जा नहीं है। ख.नं. 57 की 10 बीघा भूमि प्रार्थी द्वारा टीला पुष्प ओंकार से क्रय की थी। अप्रार्थीगण अपने जवाब की मद नम्बर 5 में उक्त भूमि कमांक ख.नं. 57/427 की 10 बीघा का खातेदार टीला पुष्प काबू अंकित करते हैं तथा जवाब मय काउंटर प्रार्थना पत्र की मद नम्बर 1 में उक्त ख.नं. 57/426 रकबा 10 की खातेदार टीला पुष्प ओंकार को अंकित करते थे। तथा अप्रार्थीगण अपने आपको उसका उत्तराधिकारी बताते थे।	
	प्रकरण वर्णित भूमि का वाकिया नक्शा और स्थल है या नहीं यह प्रारंभिक स्तर पर तय नहीं किया जा सकता किन्तु इतना अवश्य प्रतीत होता है, कि साविक की अपेक्षा हाल नक्शे में परिवर्तित स्वरूप की अप्रार्थीगण का ख.नं. 148 जो साविक 57 से पैदा किया गया है पर कब्जा भी नहीं होना रिपोर्ट से प्रमाणित है।	
	अतः अप्रार्थीगण की बनिस्पत प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण पाया जाता है।	
	प्रकरण में यह तथ्य है, कि ख० नं. 148 की भूमि लीज ऐरिया में स्थित है, तथा उक्त भूमि के संबंध में आवेदन निरस्तीकरण नियम 15(5) के तहत कार्यवाही जरूरी है।	

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहलकार हुक्म ... में ...
	रिपोर्ट पटवारी से यह प्रकट हो रहा है, कि उक्त भूमि पर आवेदी का कब्जा काश्त नहीं है यदि कब्जा विहीन अवस्था में अप्रार्थीगण लीज के अन्दर जाकर प्रार्थी के खनन सैक्टर में मदाखलत मजाहमत करते हैं, तो इससे प्रार्थी को ही असुविधा होगी। अप्रार्थीगण को कोई असुविधा होना तय नहीं है अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है। प्रार्थी द्वारा अपने लीज ऐरिया की भूमि निजि खातेदारान से क्रय कर सैक्टर की तथा उक्त भूमि पर विधिवत् लीज डीड निष्पादन करवा कर खनन या खनन से संबंधित अन्य कार्य हेतु उक्त भूमि उपयोग में कार्य ला रहा है। अप्रार्थीगण का नक्शे अनुसार खसरा नम्बर 148 पर कब्जा नहीं है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कब्जे में मदाखलत मजाहमत की जाती है, या अप्रार्थीगण के शपथ पत्र अनुसार प्रार्थी को उसके द्वारा संचालित कार्य से रोक दिया जाता है, तो इससे अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति होना संभाव्य नहीं है। प्रार्थी को इस प्रकार की क्षति होना संभाव्य है, जिसका मुद्रा के रूप में आंकलन किया जाना भी संभव न हो। प्रार्थी को या अप्रार्थीगण को प्रश्नगत विवादित भूमि पर क्या स्वत्व: प्राप्त है? उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
था होने चाहिये इसका विनिश्चय सम्यक् साक्ष्य तथा समुचित परीक्षणोपरान्त विधि अनुसार मैरिट पर होना है न कि प्रा० पत्र या जवाब के आधार पर। वाद प्रकरण की परिस्थितियों के मध्य नजर तथा पक्षकारान के विधिक स्वत्व की रक्षार्थ प्रा० पत्र अंशतः स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है। अतः गुणावगुण के आधार पर अप्रार्थीगण की विरोध आपत्ति अस्वीकार तथा प्रा० पत्र प्रार्थीगण अंशतः स्वीकार किये जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम कुंअकोर की आराजी खसरा नम्बर 148 रकबा 1.62 है० के रिकार्ड एवं मौके की यथा-स्थिति मूलवाद निस्तारण पर्यन्त कायम रखी जावे। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद मि० नं० 17/17 के साथ संलग्न रहे। निर्णय आज दिनांक 10.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	